बाल विवाह मुक्त
हमारा
बिहार

दहेज मुक्त बिहार
संकल्प हमारा

बाल विवाह और दहेज प्रथा को संबोधित करते हुए

गृह विभाग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

महिला विकास निगम, बिहार
समाज कल्याण विभाग

बिहार सरकार

सन्दर्भ

बिहार सरकार द्वारा अपनी पहल से राज्य में बाल विवाह और दहेज प्रथा का अंत करने के लिए विभिन्न सम्बंधित हितधारी समूहों हेतु मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जा रही है। इस मानक संचालन प्रक्रिया के निर्माण का उद्देश्य राज्य गृह विभाग के तहत पूरे बिहार में कार्यरत पुलिस, गाँव के चौकीदारों व जिला पुलिस अधिकारीयों के लिए सामान्य सर्वमान्य हस्तक्षेप का तरीका प्रदान करना है। राज्य गृह विभाग के इन समूहों से आपेक्षित है कि वे इसका उपयोग बाल विवाह या दहेज की घटना के संज्ञान में आने पर उसमें हस्तक्षेप करने और उसकी रोकथम करने में करेंगे।

समुदाय का प्रत्येक सदस्य – बच्चे, बड़े, पुरुष, स्त्री और नेता, हर कोई बाल विवाह और दहेज प्रथा को खत्म करने में मदद कर सकता है। इसके लिए हमें उन तक पहुँचकर उनको बाल विवाह और दहेज के नकारात्मक प्रभावों के प्रति संवेदनशील बनाने और इस बुराई का प्रतिरोध करने के लिए समझाने और प्रेरित करने की जरूरत है। पुलिस की स्थिति समाज में एक वाह्य परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में होने के कारण उनके पास समुदाय के सभी वर्गों तक पहुंचने और कानूनों को लागू करने तथा बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु कार्रवाई करने का अधिकार है।

पुलिस की भूमिका क्या है ?

पुलिस समाज में कार्य करने वाले प्रभावशाली संगठनों में से एक है। यह सरकार का समाज में सबसे अधिक दिखाई देने वाला प्रतिनिधि है। मुश्किल समय में अथवा संकट आने पर (विशेषकर उन परिस्थितिओं में जब बाल विवाह हो रहा हो) तब लोगों को समझ में नही आता कि क्या करें और किससे संपर्क करें। ऐसी परिस्थिति में सहायता मांगने के लिए पुलिस स्टेशन और पुलिस कर्मचारी सबसे उपयुक्त और सुविधाजनक इकाई होते हैं। किसी भी समाज के नागरिक पुलिस से एक सबसे सुलभ, मददगार और गतिशील संगठन होने की उम्मीद करते हैं। समाज में पुलिस की भूमिका, कार्य और कर्तव्यों के विविध स्वरुप हैं। मोटे तौर पर पुलिस मुख्य रूप से दो भूमिकाओं में नजर आती है। पहला कानून व्यस्था बनाए रखना और दूसरा आदेशों का पालन करना।

बाल विवाह और दहेज को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं:

- पुलिस के रूप में आपके पास गिरफ्तारी करने और बाल विवाह तथा दहेज रोकने का अधिकार और शक्ति है। अनुभव बताते हैं कि अधिकारियों द्वारा की गई मजबूत और मुखर कार्यवाही लोगों के उपर लम्बे समय के लिए असर छोड़ती हैं और बाल विवाह तथा दहेज की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने में सफल होती है।
- आप व्यक्तिगत कार्रवाई से एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं–
  - अपने परिवार में सुनिश्चित करें कि कोई भी विवाह कानूनी उम्र पूरी होने से पहले न होय
  - गांव में किसी भी बाल विवाह के आयोजन में शामिल नहीं हों।
- कानून पर समुदाय को शिक्षित करने के लिए समुदाय में जागरूकता सत्रों को आयोजित करें और उसमे बाल विवाह तथा दहेज के लेन–देन के कानूनी पहलुओं और परिणामों के बारे में बताएं।
- समुदाय को सूचित करें कि बाल विवाह निषेध कानून, 2006 और दहेज निषेध कानून, 1961 के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर आप कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे।

बाल विवाह को संबोधित करने से सम्बंधित हितधारको के लिए मानक संचालन प्रकिया

तत्कालिक कार्यवाही

1. थाना प्रभारी मौखिक या लिखित रूप में की गई शिकायत को स्वीकार करें तथा प्राथमिकी दर्ज कर जांच करें। सभी शिकायतों को बिना किसी देरी के प्राथमिकी में बदला जाना चाहिए।
2. बाल विवाह के मामले में बाल विवाह के शिकार बच्चों के घर का पता, उनके उम्र के बारे में जानकारी व अन्य सम्बंधित सूचनाएँ इकट्ठा कर बाल विवाह निषेध अधिकारी (CMPO) को भेजें। दहेज के मामले दहेज का लेनदेन करने वाले घरों का पता व अन्य सूचनाओं को जिला कल्याण अधिकारी को भेजें।
3. शिकायत प्राप्त करने पर पुलिस को भारतीय दंड संहिता, 1973 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए।
4. बाल विवाह व दहेज के मामलों की सुनवाई करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष निवेदन करें।
5. जांच के लिए बाल विवाह निषेध अधिकारी अथवा किसी अन्य नियुक्त अधिकारी के समक्ष अभियुक्त को पेश करने के लिए उसे संज्ञेय और गैर–जमानती अपराध की धाराओं के तहत गिरफ्तार करें।
6. बच्चे को गिरफ्तार करते समय उसे हथकड़ी न पहनाएं।
7. बाल विवाह निषेध अधिकारी अथवा किसी अन्य नियुक्त अधिकारी की अनुपलब्धता की स्थिति में बाल विवाह के आयोजन स्थल पर जाएँ और नाबालिग को बचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।
8. कार्यवाही के दौरान वर्दी में रहने से बचें और बच्चों से बातचीत के लिए उन्हें अधिक आरामदायक जगह में रखें।
9. बच्चे के साथ पुलिस को बातचीत करते समय महिला सामाजिक कार्यकर्ता/शिक्षक/आँगनवाड़ी कार्यकर्ता/एएनएम/बच्चे के नजदीकी मित्र (जिस पर बच्चा भरोसा रखता हो) को भी साथ रहना चाहिए। यदि मामला किसी लड़की के बाल विवाह का है तब उससे बातचीत करने के लिए एक महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करें। अगर कोई महिला पुलिस अधिकारी उस समय उपलब्ध नहीं है तो केवल तभी एक पुरुष पुलिस को लड़की के साथ बातचीत करना चाहिए परन्तु साथ में एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता/शिक्षक/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/एएनएम/किशोरी का भरोसेमंद मित्र को साथ में जरूर रहना चाहिए।
10. बच्चे को बचाने के 24 घंटे के भीतर उसे निकटतम बाल कल्याण समिति और जहाँ ऐसी समिति नही है वहां प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना चाहिए। बाल विवाह के शिकार बच्चों को किशोर न्याय अधिनियम और उनके कार्यान्वयन के लिए बनाए गए नियमों के तहत देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता को पूरा करना चाहिए।
11. माता–पिता/कानूनी अभिभावकों के पास से बच्चे को हटाने का निर्णय अंतिम उपाय के बतौर केवल बच्चे के सर्वोत्तम हित में लिया जाना चाहिए। बच्चे को कभी भी पुलिस लॉक–अप या पुलिस हिरासत में नहीं रखना चाहिए। इस तरह के बच्चे को केवल 2006 में संशोधित बाल मानवाधिकार (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत मान्यता प्राप्त और पंजीकृत संस्थान में रखा जा सकता है। ऐसे मामलों में बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत मुकदमा चलने के अलावा यदि बच्चे के साथ कोई अन्य अपराध हुआ है तो आप उन अपराधों से सम्बंधित अन्य धाराओं के तहत अपराधियों के खिलाफ मुकदमों को भी दर्ज करें।
12. शिकायत प्राप्त होने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 एवं दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के तहत मामला दर्ज करते हुए शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करना। आवश्यकतानुसार भा0द0वि0 की धाराओं का भी समायोजन किया जाय। उदाहरण स्वरूप यदि कोई 18 साल से कम आयु का बच्चा किसी बच्ची का अपहरण विवाह हेतु करता है तो भा0द0वि0 की धारा लगाना उचित होगा। दहेज प्रताड़ना एवं दहेज हत्या में भा0द0वि0 की धारा का समावेश करना।
13. पुलिस कर्मी बच्चों से बातचीत करते समय कभी भी वर्दी में न रहें।
14. बाल विवाह का अनुष्ठान करने वाले को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा (10–11) के अनुसार मामला दर्ज करना।

15. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा {8 (क)} के अनुसार Burden of proof अभियुक्तों पर डाला गया है। इसकी जागरूकता पैदा करना।

16. दहेज प्रतिषेध अधिनियम–1961 की धारा {4(क)} के अनुसार विज्ञापन पर पाबंदी के उल्लंघन पर कार्रवाई करना। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की घारा–74 के अनुसार बालकों की पहचान प्रकट करने पर आवश्यक कार्रवाई करना।

17. आसूचना संकलन हेतु एवं जागरूकता फैलाने हेतु थाना के पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों, चौकिदारों, आँगनवाड़ी, सेविकाओं, आशा दीदीयों को शामिल कर अभियान चलाया जाय। थाना पर चौकीदारों, आँगनवाड़ी सेविकाओं तथा आशा दीदियों के साथ प्रतिसप्ताह विचार मंथन करना।

18. बाल विवाह में आरोपित बच्चों को किशोर न्यायालय में भेजा जाना।

19. महिला थानाध्यक्ष को स्कूलों, कॉलेजों में दोनों मुद्दों पर प्रशिक्षण देने हेतु जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी नियुक्त करना।

रोकथाम और पुनर्वास के लिए गतिविधियां

1. जहाँ बाल विवाह तय हो रहा है पुलिस को उस मामले को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करना चाहिए। पुलिस को मजिस्ट्रेट के जरिये यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं की जांच की जाए और बाल विवाह निषेध अधिकारी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए।

किशोरे पुलिस यूनिट की भूमिका

2. किशोर पुलिस यूनिट का गठन किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 के तहत अनिवार्य देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों की जरूरत को पूरा करने के लिए किया गया है।

3. बाल विवाह को रोकने में किशोर पुलिस यूनिट का कार्य भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

4. इस यूनिट को बच्चों की देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है।

5. किशोर पुलिस यूनिट को नागरिक पुलिस के साथ नियमित रूप से तालमेल में रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाल विवाह से बचाए गए बच्चों को बाल कल्याण समिति / प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

6. किशोर पुलिस यूनिट को स्कूल, स्वास्थ्य एजेंसियों और पंचायत के सहयोग से बच्चों के लिए बनाए गए बाल विवाह अधिनियम, 2006 के बारे में जागरुकता पैदा करने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, ताकि लोगों में बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे जागरूकता फैलाई जा सके।

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग